संख्या- 7/2015/2276/सत्रह-म-2014 ।।-।ड(2)/06

प्रेषक,

क्षेत्रपाल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0, लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक- 12 जनवरी 2015

विषय केन्द्र पोषित स्ट्रैन्थनिंग आफ डाटा बेस एण्ड जियोग्राफिकल इनफारमेंशन फार द फिशरीज सेक्टर योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या - 1178/नि0शा0 दिनांक 22-12-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पोषित स्ट्रैन्थनिंग आफ डाटा बेस एण्ड जियोग्राफिकल इनफारमेंशन फार द फिशरीज सेक्टर योजनान्तर्गत भारत सरकार कृषि मंत्रालय पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य विभाग के पत्र संख्या - 34-11- (8)/2008- एफ0वाई0(एस) दिनांक 20-11-2014 द्वारा रू0 23.39 लाख की केन्द्रीय सहायता अवमुक्त की गयी है, जिसमें से वेतन भत्ते मद में रू0 11.89 लाख कार्यालय व्यय में रू0 0.30 लाख यात्रा व्यय में रू0 1.00 लाख तथा 10 पार्ट टाइम इन्यूमरेटर के पदस्थता के मद में रू0 10.20 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

2- उल्लेखनीय है कि उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या - 696/सत्रह-म-2014-।।-।-ड(2) 2006 दिनांक 13 जून 2014 द्वारा रू0 14.65 लाख की वित्तीय स्वीकृति लेखानुदान अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत् की गयी थी कि भारत सरकार से केन्द्रांश /प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त आहरण एवं व्यय की स्वीकृति शासन से प्राप्त की जायेगी । उक्त शासनादेश दिनांक 13 जून 2014 द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण अभी तक नहीं किया गया है। अत लेखानुदान अन्तर्गत उक्त योजना हेतु रू0 14;65 लाख की सशर्त स्वीकृति सम्बंधी उक्त शासनादेश दिनांक 13 जून 2014 को निरस्त करते हुए श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्र पोषित स्ट्रैन्थनिंग आफ डाटा बेस एण्ड जियोग्राफिकल इनफारमेंशन फार द फिशरीज सेक्टर योजनान्तर्गत भारत सरकार कृषि मंत्रालय पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 23.39 लाख (तेइस लाख उन्तालीस हजार) मात्र की निम्न विवरण के अनुसार आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

मद	रू0 लाख में
01 वेतन	5.41
02 मजदूरी	10.20
03 मंहगाई भत्ता	5.79

http://shasanadesh.up.nic.in

04 यात्रा भत्ते	1.00
06 अन्य भत्ते	0.69
08 कार्यालय व्यय	0.50
42 अन्य व्यय	-
47 कम्प्यूटर अनुरक्षण स्टेशनरी का क्रय	
51 वर्दी	
योग	23.39

1- उपरोक्त स्वीकृति धनराशि पूर्व निर्धारित नियमों एवं शर्तो तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं गाइड लाइन के अनुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 17 के अधीन लेखाशीर्षक - 2405- मछली पालन- आयोजनागत- 800- अन्य व्ययक 01- केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं 0104- स्ट्रैन्थनिंग आफ डाटा बेस एण्ड इनफारमेंशन नेटवंर्किंग फार द फिशरीज सेक्टर (के0 100/रा0 00-के) के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त आय- व्ययक अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-1685- दस 16/1992, दिनांक 07 जुलाई, 1992 में प्रदत्त अधिकारों तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई 2014 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय

(क्षेत्रपाल)
उप सचिव,

संख्या-7/2015/2276/(1)/सत्रह-म-2014 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, (लेखापरीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. अनु सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या- 34-11-(8)/2008- एफ0वाई0(एस) दिनांक 20-11-2014 के क्रम में।
3- वित्त एंव लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय लखनऊ ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय- नियत्रंण) अनुभाग-2, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन -3
6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
(क्षेत्रपाल)
उप सचिव,

http://shasanadesh.up.nic.in